राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक :–एफ 8(1)3/मूल्य/डीईएस/सामान्य/2017 दिनांक :– मई, 2018

श्रीमान उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय,
जिला सांख्यिकी कार्यालय.....।

विषय :– मूल्य संकलन प्रक्रिया एवं विसंगति निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे थोक, खुदरा, भवन निर्माण सामग्री व मजदूरी दरों, पशुधन उत्पाद एवं पशुखाद्य वस्तुओं तथा पशु मेलों इत्यादि के भाव संकलन हेतु मूल्य संकलनकर्ता एवं सुपरवाईजरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियां एवं विसंगति निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश संलग्न प्रेषित हैं। कृपया भाव एकत्रित करते समय इनका पूर्व ध्यान रखा जावें ताकि यथार्थ समंक उपलब्ध हो सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद चूलेट)
सहायक निदेशक

क्रमांक :–एफ 8(1)3/मूल्य/डीईएस/सामान्य/2017/SP-2 दिनांक :–14, मई, 2018

प्रतिलिपि प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित अनुदेश मूल्य शाखा के PSR पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करावें :–

1. श्रीमान अमित अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जयपुर।

(राजेन्द्र प्रसाद चूलेट)
सहायक निदेशक

सी–स्कीम, जयपुर– 302005, दूरभाष 0141–2850200
वेब साइट : www.statistics.rajasthan.gov.in, ई–मेल : soprice.des@rajasthan.gov.in

मूल्य संकलन हेतु ध्यान रखे जाने योग्य बिन्दुः

- मूल्य संकलन से पूर्व प्रत्येक जिले के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जिन वस्तुओं से संबंधित भावों का संकलन करना है उससे **संबंधित प्रतिवेदनों का गहनता से अध्ययन** किया जाना चाहिए। ताकि इससे ये जानकारी उपलब्ध हो सकें कि मद थोक/खुदरा अर्थात थोक से संबंधित है या खुदरा से।

- मूल्य संकलनकर्ता को सर्वप्रथम मूल्य संकलन हेतु बाजार के चुनाव में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि **खुदरा मदों के संबंध में वो बाजार जन–सामान्य के लिऐ पुर्णरूप से पहुॅच में हो** तथा **थोक बाजार कि स्थिति में ज्यादा से ज्यादा खुदरा व्यापारी उस थोक बाजार से माल खरीदतें** हो।

- बाजार चयन के उपरान्त मूल्य संकलन कर्ता को बाजार में उन दुकानों/फर्म/प्रतिष्ठानों का चयन करना चाहिए जिससे **खुदरा मदों/ थोक मदों की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जन सामान्य/खुदरा व्यापारी माल खरीदतें हो।**

- यदि फिर भी बाजार में अनुसूची में दर्ज कुछ मदों के भाव उपलब्ध नहीं हो पाते है तो **अन्य संबंधित बाजार से भाव प्राप्त किए जाने** चाहिए।

- यदि किसी चयनित दुकान पर चयनित वस्तु उपलब्ध नही हो तो निकटतम समकक्ष दुकान से भाव ज्ञात करें। उसी वस्तु के भाव उपलब्ध नही होने पर उसके समकक्ष/समान प्रकृति वाली वस्तु के भाव ज्ञात कर दर्ज करें।

- मूल्य भावों को विभाग द्वारा **निर्धारित निश्चित समय अवधि के दौरान संकलित** किया जाना चाहिए। साप्ताहिक भाव निर्धारित दिवस को सायं 3:00 बजे से 6:00 बजे के मध्य नियमित रूप से एकत्रित किये जावें।

- मदों के भाव संकलन हेतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि **मद/वस्तु कि किस्म सामान्य औसत श्रेणी कि हो, ना तो निम्नस्तरीय ना ही उच्चस्तरीय** ।

- भाव संकलन के दौरान **गत सप्ताह/माह/त्रैमासान्त के भाव भी संबंधित के पास उपलब्ध हो ताकि भावों में विचलन तुरन्त ज्ञात किया जा सकें।** अत्यधिक विचलन कि स्थिति में संबंधित दुकानों/फर्म/प्रतिष्ठान से कारण ज्ञात किया जा सकें।

- भावों को बाजार से प्राप्त करने के पश्चात अपने **उच्च अधिकारी से समीक्षा उपरान्त ही भाव विभागीय पोर्टल पर दर्ज किया** जावें।

- भाव संकलत कि दौरान **ज्ञात उच्चावचनों (±5 प्रतिशत से अधिक या कम) उच्चावचनों को उचित कारण** सहित पोर्टल पर दर्ज किया जावें।

- निदेशालय को प्रेषित **थोक भाव (साप्ताहिक–शुक्रवार), खुदरा भाव (साप्ताहिक–शुक्रवार), भवन निर्माण सामग्री मद एवं मजदूरी दरें (त्रैमासान्त–अंतिम मास का अंतिम सप्ताह), पशुधन उत्पाद एवं पशुखाद्य वस्तुओं के थोक भाव (साप्ताहिक–बुधवार) तथा पशु मेलों की सूचनाऐं (वार्षिक)** आदि से सम्बन्धित निदेशालय के विसंगति पत्रों/ईमेल का जवाब **आगामी कार्य दिवस को ही जांच कर प्रेषित** किया जावें ताकि सम्बन्धित प्रतिवेदन की कार्य प्रकिया समय से पूर्ण हो सकें।